न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (I.A.S.)
इंतकाल अपील : 15/2025
तारीख रज्जू : 20.01.2025 निर्णय दिनांक : 27.04.2026

उनवान

1. राजेश
2. लोकेश
3. अनिल
4. सुनील पुत्रांन भैरू
5. पूजा पुत्री भैरू
6. सुभाष
7. कमल
8. सुरेश पुत्रांन मनोहर
9. मिश्री
10. मेवा देवी
11. लाली देवी
12. संतोष देवी पुत्रियांन मनोहर
13. सारली पत्नी मनोहर
14. मिश्री देवी पत्नी भैरूराम

समस्त जातियान माली, निवासी श्यामनगर, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, हाल जिला–कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। – अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड़ राजस्थान। – असल रेस्पोडेन्ट
2. जगदीश
3. भूपसिंह
4. राजेन्द्र
5. हवासिंह पुत्रांन सुलतान
6. रीता
7. सुमित्रा
8. सविता पुत्रियांन सुलतान
9. धन्ना
10. रामकुंवार पुत्रांन रूघा
11. सुनील कुमार पुत्र रमेशचन्द
12. ख्यालीराम पुत्र शंकरलाल

समस्त जातियान माली, निवासी श्यामनगर, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली –बहरोड राजस्थान। – रैस्पोडेंट्स

13. मुकेश पुत्र मनोहर जाति माली, निवासी श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। – तरतीबी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2022 नायब तहसीलदार कोटपूतली बाबत नामान्तकरण संख्या 493 वाके ग्राम श्यामनगर द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर, हाल जिला कोटपूतली बहरोड।

उपस्थित : 1. वकील श्री जितेन्द्र कुमार रावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुधीर शर्मा रैस्पोडेन्ट्स संख्या 04, 05, 10 एवं 12 की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तकरण संख्या 493 वाके ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड दिनाँक 29.09.2022 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तरतीबी रैस्पोडेन्ट्स की ओर से वकील श्री सुधीर शर्मा ने वकालातनामा पेश किया। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर बहस वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपील के साथ पेश दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1001/627/0.4655, 623/0.07, 625/0.22, 972/876/0.2250, 974/876/0.0450, 982/621/0.12, 991/877/0.2525, 992/877/0.0450, 1002/627/0.48, 960/626/0.3455, 965/626/0.

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

0175, 968/626/0.0325, 973/876/0.27, 988/621/0.975, 989/621/0.1135, 999/877/0.2975 वाके ग्राम श्यामनगर, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त आराजी का रेस्पोडेण्टस ने अपीलाण्टस व तरतीबी रेस्पोडेण्ट के पीठ पीछे से नामान्तकरण संख्या 493 खुलवाकर बंटवारा करवा लिया जबकि वास्तव में अपीलाण्टस, तरतीबी रेस्पोडेण्ट व रेस्पोडेण्टस का उक्त आराजी खसरा नम्बर का विधिक रूप से बंटवारा नही हुआ है। बुजुर्गान के समय से बाहमी बंटवारा हो चुका था तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज थे, लेकिन रेस्पोडेण्टस ने अपीलाण्टस व तरतीबी रेस्पोडेण्ट से यह कहकर कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये कि लोन की कार्यवाही करनी है तथा साझे में आपको भी लोन दिला देंगे, जबकि अपीलाण्टस व तरतीबी रेस्पोडेण्ट ना तो पटवारी के पास गये तथा ना ही न्यायालय में गये और रेस्पोडेण्टस ने अपनी मनमर्जी से फर्जी कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की मौके पर जाकर जांच नहीं की गई एवं बिना अपीलाण्टस को सूचित किये उक्त नामान्तकरण दर्ज करने की भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाने से पूर्व ना तो अपीलाण्टस व तरतीबी रेस्पोडेण्ट को सूचित किया गया एवं उनकी अनुपस्थिति में उक्त नामान्तकरण अकेले रेस्पोडेण्टस के हक में दर्ज करके भारी भूल की गई। अंत में वकील अपीलाण्ट निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 29–09–2022 ग्राम श्यामनगर, नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश बाबत बंटवारानामा क्रमांक/भू.अ./22/3908 दिनांक 02–09–2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की
कृपा करें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों एवं वकील अपीलाण्ट के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित नामान्तकरण पक्षकारों के मध्य सहमति से बंटवारानामा के आधार पर हल्का पटवारी एवं भू0अ0 निरीक्षक की जांच एवं रिपोर्ट के बाद दर्ज एवं स्वीकार किया गया। पक्षकारों के मध्य सहमति से बंटवारा किया गया था जिस पर सभी पक्षकारों ने स्वंय हस्ताक्षर किये थे इसीलिए पक्षकार उक्त दस्तावेज से मुकर नही सकते। तहत न्यायालय में विचाराधीन अपील बउनवान मुकेश बनाम अनिल में भी उक्त नामान्तकरण गलत साबित नही हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजात पेश नही किये है उक्त अपील केवल अनुमान एवं असंगत तथ्यों पर आधारित है जो स्वीकार्य नही है इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के अनुरूप है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्त अपील केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढावा देने हेतु वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त अपील को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाण्टस ने उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 29.09.2022 वाके ग्राम श्याम नगर तहसील कोटपूतली नायब तहसीलदार कोटपूतली आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामांतकरण पक्षकारों के मध्य सहमति से किये गये बंटवारानामा के आधार पर दर्ज एवं स्वीकार किया गया है। वकील अपीलाण्ट का कहना है कि रेस्पोडेन्टस ने मनमर्जी से फर्जी दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवाकर उक्त नामान्तकरण दर्ज करवाया है, किन्तु इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उक्त आरोप सिद्ध हो सके। यदि अपीलार्थी को फर्जी दस्तावेजात से संबंधित कोई शिकायत है तो अपीलाण्ट को सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजाही करनी चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सहमति से बंटवारानामा के आधार पर नामांतकरण दर्ज एवं स्वीकार किया जा चुका है, ऐसी स्थिती में पुनः इसी विषय पर अपील प्रस्तुत किया जाना एक ही विवाद पर बार–बार वाद प्रस्तुत करना **(Multiplicity of litigations)** की श्रेणी में आता है, जिसे न्यायालय द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपील स्वीकार योग्य नहीं है तथा नायब तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा दर्ज नामान्तकरण में कोई त्रुटि साबित नहीं होती है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़